

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (वाणिज्य फसलें-कपास) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, जींद, रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर तथा पलवल (11जिलों)में पौध संरक्षण रसायन एवं बायो एजेंट के वितरण पर किसानों को अनुदान दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट www.agriharyana.gov.in में Agri Schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (15-09-2022) तक कर सकते हैं।

(वाणिज्य फसलें-कपास) में पौध संरक्षण रसायन एवं बायो एजेंट के वितरण पर रू0 200/एकड सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Plant Protection Chemicals and Bioagents

District Wise Physical & Financial targets of Plant Protection Chemicals and Bioagents for 2022-23 (Assistance @ Rs. 200/- acre or 50% of the cost whichever is less)							
Sr. No	Distt	General Category		SC Category		Total	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	3000	6.00	750	1.50	3750	7.50
2	C.Dadri	1200	2.40	300	0.60	1500	3.00
3	Fatehabad	1800	3.60	450	0.90	2250	4.50
4	Hisar	3800	7.60	950	1.90	4750	9.50
5	Jhajjar	400	0.80	100	0.20	500	1.00
6	Jind	1300	2.60	325	0.65	1625	3.25
7	M/garh	400	0.80	100	0.20	500	1.00
8	Palwal	800	1.60	200	0.40	1000	2.00
9	Rewari	400	0.80	100	0.20	500	1.00
10	Rohtak	500	1.00	125	0.25	625	1.25
11	Sirsa	6400	12.80	1600	3.20	8000	16.00
	Total	20000	40.00	5000	10.00	25000	50.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टेयर (2.5 एकड) का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा